कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशॉक–वा0क0अधि0/युगलपीठ/65/2024 दि0 लखनऊः 09 जनवरी, 2024

–:: संशोधित आदेश ::–

मुख्यालय के संशोधित आदेशॉक 1587/2023 दिनांक 13–12–2023 के द्वारा वाराणसी में युगलपीठ का गठन **दिनांक 15–01–2024 से 18–01–2024** तक करते हुए युगलपीठ के सदस्य के रूप में न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, गोरखपुर पीठ गोरखपुर एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–5, वाराणसी को नामित किया गया था।

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–5, वाराणसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सं0 07 दिनांक 08–01–2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि **दिनांक 15–01–2024 को " मकर संकान्ति "** के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश तथा **दिनांक 17–01–2024 को "गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती" के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश** घोषित किया गया है, जिसके कारण उक्त दिवसों में अवकाश होने के कारण उक्त गठित युगलपीठ में आंशिक संशोधन करते हुए **दिनांक 16–01–2024 से 20–01–2024** तक युगलपीठ गठित करने का अनुरोध किया गया है।

मा0 अध्यक्ष महोदय के मौखिक टेलीफोनिक निर्देशानुसार उक्त परिस्थितिजन्य स्थिति के दृष्टिगत, सम्यक रूप से विचार करते हुए दिनांक 15–01–2024 एवं 17–01–2024 को वाराणसी जनपद में अवकाश घोषित होने के कारण पूर्व निर्गत उक्त आदेश सं0 1587/2023 दिनांक 13–12–2023 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए वाराणसी में **दिनांक 16–01–2024 से 20–01–2024** तक **युगलपीठ गठित** की जाती है। शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों/पीठ कार्यालयों को सूचित किया जाये।

ह0–09–01–2024
(तरुण कुमार)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0/यु0पी0संशो0/ 65 /2023 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाराणसी पीठ–1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी।
2– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, गोरखपुर पीठ गोरखपुर।
3– मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/ विवरण/वेव अधिकारी/ मुख्यालय।
4– संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

(तरुण कुमार)
निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।